



Neutral Citation No. - 2026:AHC:124942

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 19248/2026

फैजल उर्फ फैजल

..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : शमसुद्दीन अहमद

विपक्षी के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 4

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. आवेदक के विद्वान वकील श्री शमसुद्दीन अहमद और राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री रोशन कुमार सिंह को सुना और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 250/2026 में आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है, जिसमें धारा 281, 105 बी.एन.एस. और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184/3(1)/181 के तहत पुलिस स्टेशन- जगदीपुरा, जिला- आगरा के तहत सुनवाई के लंबित रहने के दौरान आवेदन किया गया है।
3. आवेदक के लिए विद्वान अधिवक्ता का तर्क यह है कि, एफआईआर के अनुसार, आवेदक ने मोटरसाइकिल को अंधधुंद और लापरवाही से चलाते समय मृतक को टक्कर मार दी, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



4. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि, एफआईआर के साथ-साथ गवाहों के बयानों के अनुसार, आवेदक भी दुर्घटना में गिर गया था और उसे उसकी मोटरसाइकिल के साथ पुलिस को सौंप दिया गया था। इसलिए, मामला बी.एन.एस. की धारा 106(2) के तहत भी नहीं आएगा और फिर भी, आवेदक को बी.एन.एस. की धारा 105 के तहत केवल इस आधार पर झूठा फंसाया गया है कि वह अपना ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सका। आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह दुर्घटना का मामला था और आवेदक के लिए पुलिस को सूचित किए बिना भागने का कोई अवसर नहीं था, क्योंकि उसे जनता ने पकड़ लिया था और पुलिस को सौंप दिया था। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में आरोप पत्र दायर किया गया है, इसलिए हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक कानून का पालन करने वाला नागरिक है और वह 12.04.2026 से जेल में बंद है। यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

5. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत के लिए प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है, लेकिन उपरोक्त तथ्यों पर विवाद नहीं कर सका।

6. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों, अपराध की प्रकृति, सबूतों और आरोपी की भूमिका पर विचार करते हुए; साथ ही जेलों में भीड़ और निचली अदालतों में लंबित आपराधिक मामलों की भारी संख्या को ध्यान में रखते हुए और **कपिल वधावन बनाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन जो 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038** में रिपोर्ट किया गया, के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य जो 2024 एससीसी ऑनलाइन एएलएल 6765** में रिपोर्ट किया गया, मामले में जमानत देने के संबंध में इस न्यायालय के दिशा निर्देशों को देखते हुए—और मामले के गुण-दोष पर कोई राय ज़ाहिर किए बिना—मेरी राय है कि आवेदक जमानत पाने का हकदार है। इसलिए, यह जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।

7. उपरोक्त अपराध में शामिल आवेदक- **फैजल उर्फ फैजल** को निम्नलिखित शर्तों के साथ संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत मुचलका और समान राशि में दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए:-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



- i. आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने से रोका जा सके।
 - ii. आवेदक किसी भी स्थगन की मांग किए बिना ईमानदारी से परीक्षण/जांच में सहयोग करेगा।
 - iii. जमानत पर रिहा होने के बाद आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि या किसी भी अपराध में शामिल नहीं होगा।
 - iv. आवेदक अपने द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।
8. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।
9. बंधपत्र स्वीकार करने से पहले आवेदक और जमानतदार की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण को संबंधित न्यायालय द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए।
10. आवेदक के मोबाइल नंबर और आधार कार्ड के साथ-साथ जमानतदारों का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।
11. यह भी निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई का आदेश भेजेगा।
12. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह **संदर्भ: स्वतः संज्ञान रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4/2021 में जमानत देने की नीति रणनीति** जो (2024) 10 एससीसी 685 में रिपोर्ट किया गया, के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 31.01.2023 के आदेश और रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 169/2025 में पीला पाहन @ पीला पाहन और अन्य बनाम झारखंड राज्य और अन्य, के मामले में दिनांक 29.05.2026 के आदेश का पालन करते हुए इस आदेश की एक प्रति जेल अधीक्षक, आगरा के ज़रिए ईमेल या ई-प्रिज़न पोर्टल से 24 घंटे के अंदर आवेदक को और ई-मोड के माध्यम से विचारण न्यायालय को प्रेषित करें।

(अरुण कुमार सिंह देशवाल, न्यायमूर्ति)

3 जून, 2026

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



Translated Judgment. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।